न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 12/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00030

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. नारायणसिंह पुत्र चिमनसिंह राजपुरोहित, निवासी सोनाणा तहसील देसूरी जिला पाली		1. लीला पत्नी स्व. शक्तिदान सिंह राजपुरोहित निवासी सोनाणा तहसील देसूरी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत आना, तहसील देसूरी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से मनीष राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/2/21

वकील प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत आना द्वारा शक्तिदान सिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 03.12.1969 जो संकल्प संख्या 04 दिनांक 30.10.1969 मिसल संख्या 38/25.07.1969 में पारित आदेश दिनांक 30.10.1969 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश की गई। निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत आना का जैर निरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी विक्रय विलेख तथ्यों के विपरीत बिना किसी आधारों के अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्राथ्री संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया जो खारिज योग्य है। पट्टे के सम्बन्धित भूमी प्रार्थी के पुश्तैनी हक अधिकार की है। जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया गया जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी आराजी भूमी का पूर्व में पट्टा चिमन सिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत आना द्वारा मिसल संख्या 52/21.12.62 जो जारी किया हुआ है। यह तथ्य विवादित विक्रय विलेख सम्बन्धी मिसल की आदेशिकाओं में स्पष्टतया दृष्टिगत है। तथा वास्तविक स्थिति भी यही है। कानूनन किसी व्यक्ति के हक में किसी आराजी का एक बार पट्टा जारी किया जा सकता है तत्पश्चात उसी आराजी भूमी के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। जिसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम पंजीबद्ध विक्रय से ही संभव है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं कर मनमाने तरीके से अप्रार्थीया के पति शक्तिदान के एजेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर चिमनसिंह जी, जो प्रार्थी के पिता है उनके नाम जारी पट्टा आराजी के ग्राम पंचायत ने हिस्सा कर आराजी के एक पट्टे के स्थान पर दो पट्टे एक चिमनसिंह तथा एक शक्तिदान सिंह के नाम दिनांक 25.07.1969 को मिसल संख्या 38 में आदेश पारित कर दिए। जबकि पंचायत को चिमनसिंह के हक में जारी पट्टे को सक्षम न्यायालय से खारिज कराये बिना जैर निगरानी पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार नहीं था फिर भी पंचायत ने गैरविधिक कार्य करते हुए कर दिया जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थिया [illegible] जो जयपुर ही रहती है शक्तिसिंह की मृत्यु पर्यन्त उसका हक अधिक[illegible] जाता फिर भी शक्तिदान की संपति में अधिकार जताने की [illegible] कराने का यह कृत्य कराया है लिहाजा पट्टा निर[illegible]त फरमाया जावे [illegible]प्त करने का प्रार्थना पत्र पट्टा गृहिता द्वारा पेश न[illegible] कर उनके एजेन्ट द्वा[illegible] किया गया है इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:55 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

आदेशिकाओं में सरपंच अकेले के हस्ताक्षर है जो पूर्व कोरम नहीं होना जाहिर करता है कोरम के अभाव में भी पट्टा निरस्त योग्य है जैर निगरानी पट्टे का नाप वास्तविक स्थिति से भिन्न होने से भी पट्टा निरस्त किया जाना विधि अनुरूप है। नक्शा किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया है ग्राम सेवक व सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट पर मात्र तीन अंगुष्ठ के निशान है जो कौन है यह स्पष्ट नहीं है नाम पता व वल्यिदत लिखी हुई नहीं है दो गवाहों के बयान नहीं लिए गए है आपति इश्तिहार जारी नहीं किया है भूमी पर प्रार्थी का निर्विवाद कब्जा है इस कारण भी विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। जैर निगरानी आराजी में शक्तिदान सिंह का किसी प्रकार से हक अधिकार नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि यह सही है कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी के आवासीय मकान पर शक्तिसिंह पुत्र नैनसिंह के प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शक्तिसिंह के काकाजी चिमनसिंह द्वारा पट्टा मूल ही स्वयं पंचायत में प्रस्तुत कर शक्तिसिंह का हक उक्त आराजी में होना बताया जिसका नाप चौक किया गया जो लिखित मुताबिक 15.25 फिट उत्तर में और दक्षिण में तथा 14.25 फुट व पूर्व में 45 फिट पश्चिम में भी 45 फीट है लिखित फाईल किया गया तथा पंचायत में निर्णय किया कि चिमनसिंह की पट्टा आराजी में शक्तिदान सिंह का हक है नाप चौक लिखित अनुसार जो चिमनसिंहजी द्वारा प्रस्तुत किया गया उनके हक में जारी पट्टा पंचायत में पेश करने को कहा गया। तथा चिमनसिंह द्वारा अपने हक में जारी पट्टा पेश करने पर शक्तिसिंह के हक की आराजी को बाद करते हुए शक्तिदान सिंह के नाम 45 गुणा 14.50 फिट का आराजी का पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया। तथा शेष आराजी का चिमनसिंह के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पंचायत द्वारा दिए गए तथा चिमन सिह के हक में जारी पट्टा पंचायत की आदेशिका दिनांक 30.10.1969 के अनुसार वापस लिया गया। उनके बयान लिए गए तथा मिसल संख्या 52/21.11.68 के संलग्न किया गया तथा दोनों चिमनसिंह व शक्तिदानसिंह के नाम पट्टा जारी किया जाकर प्रदाय किया गया। जो क्रमशः पट्टा संख्या 10 व पट्टा संख्या 09 जारी किए गए है। जिनका नाप क्रमशः 1328 वर्गफुट व 641.25 वर्गफुट है। जिसकी शुल्क राशि जमा कराने के बाद जारी किए गए आदेशिका दिनांक 30.10.1969 में पंचायत कोरम के पूर्ण हस्ताक्षर नाम सहित है जिसकी स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी से ली गई है। जिसके क्रमांक 1149/04.05.1971 है। शक्तिदान सिंह का प्रार्थना पत्र पत्रावली में है चिमनसिह की सहमती है इस आशय का लिखित भी पत्रावली में है। शक्तिदान सिंह को 41.25 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है चिमनसिंह के हक में 1328 वर्गफिट पट्टा जारी किया गया है। तीन वार्ड पंचों की रिपोर्ट भी है इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत तरीके से सम्पन्न की जाने से जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या इतने समय बाद निगरानी दायर करने का उचित कारण है ?
2. क्या प्रक्रिया का पालना किया गया है ?

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी जैर निगरानी पट्टा जारी करने के 50 वर्षों पश्चात पेश की गई इतने लम्बे अन्तराल का युक्तीसंगत कारण स्पष्ट भी नहीं किया है न्यायिक दृष्टांत [illegible] 2009 (4) [illegible] तथा आरएलडब्ल्यू 1999 (3) राज. इस पर पूर्ण रूप से चस्पा होता [illegible] के अनुसार प्रश्नगत भूमी पर प्रार्थी के अधिवक्ता की संरच[illegible] विलम्ब हो चूका है पंचायत द्वारा पट्टा जारी पट्टा [illegible] नहीं रह जाता है तथा वही म्याद का प्रावधान नही होता है। यहां एक अन्त[illegible] के बाद निगरानी प्रस्तुत की गई है , 50 वर्षों की अवधी का अन्तराल का युक्ति संगत होना , जो स्वयं में अस्पष्ट है।

क्रमश....................3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:55 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी आराजी के पूर्व पट्टा धारक श्री चिमन सिंह की स्वीकारोक्ती के पश्चात ही उनके हक में जारी पट्टा पंचायत द्वारा लिया जाकर तथा चिमन सिंह जी की लिखित सहमती प्राप्त करने (जो पत्रावली संलग्न है) के बाद ही पृथक–पृथक दो पट्टो क्रमशः पट्टा संख्या 10 चिमनसिंह के नाम 1328 वर्गफुट का तथा पट्टा संख्या 9 शक्तिदानसिंह के नाम 641.25 वर्गफुट का जारी किया गया जिसका पट्टा जारी करने की स्वीकृती उपखण्ड अधिकारी से ली गई उसके क्रमांक 1149 / 04.05. 1971 पत्रावली में अंकित है इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधि अनुसार पूर्ण की गई है वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2016 आरआरडी 149 इस पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है चिमनसिंह की लिखित सहमती (जो पत्रावली के सलंग्न है) के पश्चात शक्ति सिंह के पक्ष में व चिमनसिंह के पक्ष में पट्टे जारी किए गए इस से पूर्व चिमनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत द्वारा तत्समय ही ले लिया गया था चिमन सिंह की सहमती व स्वीकारोक्ती से दोनों पट्टे जारी किए जाने से अब एस्टोपल है। तथा निगरानी पूर्व में की गई स्वीकारोक्ति से एस्टोपल है। उसके बाबत रीलीफ प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत आना द्वारा मिसल संख्या 38 / 25.07.1969 में तथाकथित संकल्प संख्या 04 दिनांक 30.10.1969 की पालना में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 03.12.1969 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:55 IST
Reason: SelfAttested